अधिसूचना दिनांक 10 जून, 2016

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल – 462 016

अन्तिम विनियम

भोपाल, दिनांक 31.05.2016

क्रमांक 900/2016. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के साथ पठित धारा 181 की उपधारा (2) के खण्ड (य त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, दिनांक 12.03.2010 को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित ''मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2010'' में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2010 में प्रथम संशोधन

1. **संक्षिप्त नाम, सीमा एवं प्रारंभ :** (i) ये विनियम ''मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–प्रथम) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2010'' {एआरजी–21(I) (i) वर्ष 2016} कहलाऐगें ।

(ii) ये विनियम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं के अंतर्गत प्रभावशील होगें ।

(iii) यह विनियम मध्यप्रदेश शासन के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होगा।

2. उक्त विनियमों में,–

(एक) विनियम 3 के उप विनियम (i) में, अंत में, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाए, अर्थात् :–

''वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को भी, उस दशा में, जहां कि वे समग्र राजस्व आवश्यकता तथा फुटकर प्रदाय टैरिफ के निर्धारण के लिए याचिकाओं में सह याचिकाकर्ता हों, पृथक् शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी ।'' ;

(दो) विनियम 4.2 के उप विनियम (iii) में शब्द ''निर्धारित'' के स्थान पर, शब्द ''विनिर्दिष्ट'' स्थापित किया जाए ;

(तीन) विनियम 5 के उप विनियम (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :–

''(ii) इन विनियमों में की कोई भी बात आयोग को, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, अभिलिखित किए जाने वाले

कारणों से, यदि यह आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगा जो इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रावधान से अन्यथा हो'';

(चार) अनुसूची 1 में, अनुक्रमांक 1, 2, 3, 5, 7, 16, 23, 25 तथा 28 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :–

अनुसूची – 1		
अनु–क्रमांक	**आवेदन का नाम**	**शुल्क/प्रभार (रूपए)**
1	उत्पादन टैरिफ के निर्धारण हेतु आवेदन	
(ए)	परंपरागत ईंधन आधारित संयंत्र जिसमें 25 मेगावॉट से अधिक के जल आधारित संयंत्र सम्मिलित हैं.	प्रतिवर्ष स्थापित क्षमता के प्रति मेगावाट या उसके किसी भाग के लिए रूपए 2,000/– (रूपए दो हजार)
2	पारेषण टैरिफ के निर्धारण हेतु आवेदन	प्रतिवर्ष ई एच टी पारेषण प्रणाली में ऊर्जा निवेश की प्रति एक मिलियन यूनिट या उसके किसी भाग के लिए रूपए 100/– (रूपए एक सौ).
3	वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वितरण टैरिफ निर्धारण हेतु याचिका	प्रतिवर्ष ई एच टी पारेषण प्रणाली में ई एच टी पारेषण प्रणाली की हानि को घटाकर ऊर्जा निवेश की प्रति एक मिलीयन यूनिट या उसके किसी भाग के लिए रूपए 200/– (रूपए दो सौ).
5	उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी/मान्य योग्य अनुज्ञप्तिधारी/व्यक्ति जिसे अनुज्ञप्ति से छूट प्राप्त है द्वारा प्रस्तुत टैरिफ आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका.	रूपए 1,00,000/– (रूपए एक लाख)
7	अधिनियम की धारा 15 (1) के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदाय करने हेतु अथवा धारा 13 के अधीन अनुज्ञप्ति से विमुक्ति हेतु आवेदन शुल्क.	रूपए 5,00,000/– (रूपए पांच लाख) (गैर वापसी योग्य) दिनांक 07.06.2012 को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए अनुसार.
16	दीर्घकालीन ऊर्जा क्रय अनुबन्ध का अनुमोदन। दीर्घकालीन से अभिप्रेत है एक वर्ष या उससे अधिक की किसी कालावधि के लिए.	
(क)	परम्परागत ईंधन आधारित (कोयला, तेल आदि) संयंत्र, जिसमें 25 मेगावॉट से अधिक के जल आधारित संयंत्र सम्मिलित हैं.	रूपए 25000/– (रूपए पच्चीस हजार) प्रति मेगावॉट अथवा उसके अंश {उच्चतम रूपए 10,00,000/– (रूपए दस लाख)}
23	अधिनियम की धारा 162 (2) के अधीन मुख्य विद्युत निरीक्षक अथवा किसी विद्युत निरीक्षक के विनिश्चय के विरूद्ध अपील.	रूपए 10,000/– (रूपए दस हजार)

25	ऊर्जा के गैर–परम्परागत स्त्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वालों द्वारा ग्रिड के साथ संयोजन की अनुमति की प्राप्ति हेतु प्रस्तुत किया गया आवेदन.	विलोपित किया गया.
28	अधिनियम की धारा 63 के अधीन टैरिफ को ग्रहण करने हेतु आवेदन के लिए शुल्क	रूपए 10,00,000/– (रूपए दस लाख)

आयोग के आदेशानुसार

आयोग सचिव